

प्रारूप सं० ३०
FORM – I
(For linear Projects)
Government of Uttarakhand
Office of the District Collector Tehri Garhwal

No. 653/XXVI-ALL II 2019-2020

Dated २१/०८/२०२०

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and forest (MoEF), Government of India letter No. 11-9/98-FC (pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act 2006 (FRA for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEFs letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that **3.425 hact.** of forest land proposed to be diverted in favour of **Public Works Department, Kirtinagar** for **Construction of Raragarh to Tola Motor Road** in **Tehri Garhwal** District falls within jurisdiction of _____ Villages in **Kirtinagar** tehsils.

It is further certified that:

- a) the complete process for identification and settlement of right under it FRA has been carried out for the entire **3.425 Hac.** of forest land proposed for diversion. A copy of records of all consultation and meetings of the forest Rights Committees, Gram Sabha, Sub Division Level Committees and the District Level Committee are enclosed as annexure **30** to annexure 30.2
- b) the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabha have given their consent to it.
- c) the proposal does not involve recognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-Agricultural Communities.

Encl: As above

Signature

()
 Distt. Collector
 टेहरी गढ़वाल।

It is further certified that – Minutes of meeting of Construction of Raragarh to Tola Motor Motor Road (6.00 KM) regarding FRA is as following.

Sr. No.	Remarks
(a)	The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 3.425 Hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meeting of the forest rights committee(s), Gram (s), Sub-Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure to annexure.
(b)	The Diversion of Forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram have given their consent to it.
(c)	The proposal does not involve recognized rights of primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Sangeeta Jayaram

श्रीमती संगीता जयराम
सदस्य जिला पंचायत
35 थाती डागर (टिहरी गढ़वाल)
जिला पंचायत सदस्य

टिहरी गढ़वाल

A.

जिला समाज कल्याण अधिकारी
जिला समाज कल्याण अधिकारी
टिहरी गढ़वाल

81
उप बैठ संस्थक
प्रभागीय बनाधिकारी
नरनदीनगर बन प्रभाग
मुनि की रेती (ठिठ गाँ)

Signature

Mayl

Dist. Collector

प्रियतानि च

टिहरी गढ़वाल।

**OFFICE OF THE DISTRICT COLLECTOR
DISTRICT TEHRI GARHWAL (UTTARAKHAND)**

Proceeding of the meeting of the District Level Committee constituted under Schedule Tribes & Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Rights) Act (FRA) 2006.

A meeting of the District Level Committee Tehri Garhwal District. Constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of Shri **Mangesh Childiyal** I.A.S. District Collector Tehri Garhwal at New Tehri in which the applicant claiming rights in **Kirtinagar** Block area measuring **3.425 Hectare** for the construction of **Construction of Raragarh to Tola Motor Road** in Tehsil **Kirtinagar** of forest land under FRA 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the Sub Division Level Committee of **Kirtinagar** Sub Division were discussed to consider the same for admission by the District Level Committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions no objection/claims were found to have been made and hence District Level Committee recommended the above case for diversion for land for the said purpose.

Place :- Tehri

District Collector Cum chairman

जिलाधिकारी
District Tehri Garhwal
दस्ता गढ़ी
New Tehri

प्रपत्र—

परियोजना का नाम :— मा० मुख्यमंत्री घोषणा सं० 71/2017 के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल में विधान सभा देवप्रयाग के अन्तर्गत राड़ागाड़ से टोला तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य। (लम्बाई 6.00 कि०मी०)।

कार्यालय उप जिलाधिकारी
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत

प्रमाण—पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति,

उपखण्ड कीर्तिनगर परिक्षेत्र के अन्तर्गत कीर्तिनगर के अन्तर्गत राड़ागाड़ से टोला तक मोटर मार्ग (3.073 हे० आरक्षित वन भूमि, 0.352 हे० सिविल सोयम भूमि, शून्य वन पंचायत भूमि) अर्थात् कुल 3.425 हे० वन भूमि का लोक निर्माण विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील कीर्तिनगर) की दिनांक को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:—

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री 03-01-2020, उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

स्थान	प्राप्ति	उपजिलाधिकारी	अध्यक्ष	उप प्रभागीय वनाधिकारी	सदस्य	सहायक समाज कल्याण अधिकारी	सदस्य / सचिव	अध्यक्ष पचायत गवाणा	सदस्य
1- <u>२ झो अव्वाव</u>		उपजिलाधिकारी							
2- <u>डी.पी.बलोही</u>		उप प्रभागीय वनाधिकारी							
3- <u>श्रीमती भनीषा तिवाड़ी</u>		सहायक समाज कल्याण अधिकारी							
4- <u>प्रियंका नेही</u>		बी०डी०सी० क्षेत्र							

जिला-टिहरी गढ़वाल (उत्तराखण्ड)

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि राड़ागाड़ से टोला तक मोटर मार्ग परियोजना हेतु 3.425 हे० वन भूमि लोक निर्माण विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, **देवप्रभाग** उप वन प्रभाग द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड कीर्तिनगर परिक्षेत्र के राडागाड़ से टोला तक मोटर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु 3.425 हेक्टर भूमि लोक निर्माण विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील—.....
जनपद
.....

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील—.....
जनपद
.....

परियोजना का नाम :- मा० मुख्यमंत्री घोषणा सं० 71/2017 के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल में विधान सभा देवप्रयाग के अन्तर्गत राड़ागाड़ से टोला तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।
(लम्बाई 6.00 कि०मी०)।

दिनांक 03-01-2020 उपखण्ड स्तरीय समिति की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति
जनपद-

1.	श्री रजा अव्वास	उपजिलाधिकारी	अध्यक्ष	उपजिलाधिकारी कीर्तिनगर टिहरी गढ़वाल।
2.	श्री <u>डॉ. पी. बलोते</u>	उप प्रभागीय वनाधिकारी	सदस्य	<u>उप प्रभागीय वनाधिकारी</u> <u>(हेजप्रयाग)</u> <u>नरेन्द्रनगर वन प्रभाग</u>
3.	श्रीमती भनीषा तिवाड़ी	सहायक समाज कल्याण अधिकारी	सदस्य / सचिव	<u>Minal</u> <u>सहायक समाज कल्याण</u> <u>अधिकारी</u> <u>विष्णु-कीर्तिनगरटिला०</u>
4.	श्रीमती- प्रियंका नेहो	बी०डी०सी० क्षेत्र	सदस्य	<u>Sangeet</u> <u>सदस्य</u> <u>लेप्र पवायत गवाणा</u> <u>विष्णु-कीर्तिनगर,</u> <u>जिला-टिहरी गढ़वाल (उत्तराखण्ड)</u>

परियोजना का नाम :- मान मुख्यमंत्री घोषणा सं० 71/2017 के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल में विधान सभा देवप्रयाग के अन्तर्गत राड़ागाड़ से टोला तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य। (लम्बाई 6.00 कि०मी)।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम - राड़ागाड़

तहसील जिला टिहरी गढ़वाल

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत राड़ागाड़ से टोला तक मोटर मार्ग की परियोजना के लिए इस हेतु (३०७३) हेतु आरक्षित वन भूमि (०.३५२) हेतु सिविल सोयम भूमि, शून्य वन पंचायत भूमि) अर्थात् कुल ३.४२५ हेतु वन भूमि का लोक निर्माण विभाग कीर्तिनगर के एवं मे भारत सरकार पर्यावरण एवं इन नियमों द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

इकत्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत राड़ागाड़ द्वारा दिनांक

28-12-2019 द्वारा सन्दर्भ नं.

इस पंचायत की वेढ़ा में प्रयोग्यता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संघर्ष में अनापत्ति प्रमाण द्वारा निर्दिष्ट करने हेतु विस्तृत वर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के ग्रहिधारों के तहत आवेदित वन भूमि के इसके द्वारा दिसी गैर आदिवासी वन कब्जा/कृषि क्षाय है अथवा नहीं। उपस्थित जमी ग्रामवासियों द्वारा इसके द्वारा दिसी गैर आदिवासी वन कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया गया कि इकत्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परन्तु राजनीतिक अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

इसके उपरान्त यान सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया फिर इसके द्वारा दिये जाने पर कोई ओपत्ति नहीं है।

का परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई ओपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जा सत्य एवं सत्ती है।

Manu
ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत राड़ागाड़
किंवद्दन कीर्तिनगर
जनपद टिहरी गढ़वाल

Omni

Bart
विविहासी विविहासी
जस्ताई जामू लो.पि.पि.
विवर वृद्धावव वौलिया

Omni
ग्राम प्रधान Omni

दिनांक 28-12-2019 का ग्राम सभा की सम्पादन बैठक की उपरिथिति

ग्राम पंचायत का नाम - २१५११५

क्रमांक	ग्राम सभा में उपरिथित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	मंगल सिंह ५% अजग्नन सिंह	Mangalsingh
2	कर्ण सिंह ५% वत्तर सिंह	Karn Singh
3	मुकेश सिंह ५% गोविंद सिंह	Mukesh Singh
4	संगीत देवी ५% दाना सिंह	Sangeet Devi
5	बीर सिंह ५% इन्द्र सिंह	Bir Singh
6	छत्तेश सिंह ५% गुलाम सिंह	Chattesh Singh
7	छवर सिंह ५% राम देवी	Chhavre Singh
8	प्रभोद रत्न ५% जोत रत्न	Prabod Ratn
9	करमल रत्न ५% भातवर रत्न	Karamal Ratn
10	कुलल रत्न ५% वन्द्र रत्न	Kulal Ratn

11 राजी देवी ५% लक्ष्मण रत्न

राजी देवी

12	कुण्डली ५% लखन रत्न	कुण्डली देवी
13	अमिला देवी ५% राजेन्द्र रत्न	अमिला देवी
14	विला देवी ५% रविजे नर रत्न	विला देवी
15	मन देवी ५% विनेश रत्न	मन देवी
16	(कर्ण) देवी ५% नानाल रत्न	सरोजनी देवी
17	(रमेश) देवी ५% रमावीर रत्न	कोन्त देवी
18	बोलता रत्न ५% बाल रत्न	बोलता रत्न
19	दलपर रत्न ५% दलपर रत्न	दलपर रत्न
20	विजय रत्न ५% विजय रत्न	विजय रत्न

ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत २१५११५
विठ खा० कीर्तिनगर
नन्हाद टिकडी गांव

सहायक विकासकर्ता
बस्थाइ खा० लो० तिं० दि०
बीनगढ़-खा० कीर्तिनगर दि० खा०

४०/- ग्राम प्रधान
ग्राम प्रधान

परियोजना का नाम :- मा० नुख्यमंडी घोषणा सं० 71/2017 के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल में विधान सभा देवप्रयाग के अन्तर्गत राडागाड़ से टोला तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य। (लम्बाई 6.00 किमी)।

इन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम - राडागाड़

तहसील जिला टिहरी गढ़वाल


अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत राडागाड़ से टोला तक मोटर मार्ग जी परियोजना के निर्माण हेतु (३०७३ हेतु आरक्षित वन भूमि (०३५२) हेतु रिविल सौयम भूमि, शून्य वन पंचायत भूमि) अर्थात् कुल ३.४२५ हेतु वन भूमि का लोक निर्माण विभाग कीर्तिनगर के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं उन सदालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।


उक्त पक्षण के दिन में ग्राम पंचायत राडागाड़ द्वारा दिनांक 28-12-2019 के सन्दर्भ ग्राम सभा / ग्रम पंचायत और इंटर्नेशनल एजेन्सी द्वारा आवेदित वन नूनि के संबंध में जनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों के तहन आवेदित वन भूमि वे आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपरिथित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवंदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसमति से निर्णय लिया गया / प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम टोला के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि लोक निर्माण विभाग कीर्तिनगर प्रयोक्ता राजनीति को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं स्पष्ट है।


ग्राम पंचायत चिकित्सा अधिकारी
ग्राम पंचायत राडागाड़
सिंह राज लीपिनगर
सदालय टिहरी गढ़वाल


सहायक नामियस्ता
अस्थाई खण्ड सोनिविंशि
बीनगर-मु० कीर्तिनगर टि० ४०


(सुनील बुजर)
ग्राम प्रधान

दिनांक 28-12-2019 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत का नाम - २१५११५

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	डॉ विलेन्ड्र शर्मा ५% व्यवसायी	विलेन्ड्र शर्मा
2	चंद्री शर्मा ५% जीता सिंह	-चंद्री शर्मा
3	सुरवीर शर्मा ५% भौद्धना सिंह	सुरवीर शर्मा
4	उमेद शर्मा ५% नोहन शर्मा	उमेद शर्मा
5	लंबा देवी ५% उक्केश मिश्र	लंबा देवी
6	मारु शर्मा ५% छते शर्मा	मारु शर्मा
7	लक्ष्मी लाला देवी ५% माना शर्मा	लक्ष्मी लाला देवी
8	मनीषा देवी ५% वरेन्द्र शर्मा	मनीषा देवी
9	लक्ष्मी देवी ५% कुरवीर शर्मा	लक्ष्मी देवी
10	सोही देवी ५% उमेद शर्मा	सोही देवी
11	कुमुद देवी ५% अवलार शर्मा	कुमुद देवी
12	आलम शर्मा ५% हीरा शर्मा	आलम शर्मा
13	रघु देवी ५% कुरवीर शर्मा	रघु देवी
14	जीत शर्मा ५% गोकर्ण शर्मा	जीत शर्मा
15	नवान शर्मा ५% कुलसी शर्मा	नवान शर्मा
16	सरोजनी देवी ५% चेहरा शर्मा	सरोजनी देवी
17	संगीता देवी ५% एकान्ना शर्मा	संगीता देवी
18	विजय पाटा ५% माटावरा शर्मा	विजय पाटा
19	कुरवीर शर्मा ५% शेर शर्मा	कुरवीर शर्मा
20	कौशल शर्मा ५% अपाला शर्मा	कौशल शर्मा
21	नवानी देवी ५% बिलोच शर्मा	नवानी देवी

Chintu

ग्राम पंचायत विधायक सभा क्रमांक
ग्राम पंचायत - २१५११५
क्र० ३० वर्ष की पूर्णावधि
अधिकारी द्वारा दिलाई गया

सहायक वायिका
अस्थाई खण्ड लो० निं० वि०
वीनगढ़-मु० कीर्तिनगर टि० ६०

अधिकारी
(कृष्णनगर)

८०/- रुपये
ग्राम पंचायत